

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखाण्ड, राँची ।

दिनांक-24.02.2024

सेवा में,

Md. Imran,
Counain Traders,
Kumhar Toli, Post - Gumla, Thana-Gumla, Lohardaga Road,
District- Gumla, Jharkhand.

विषय:- मौजा-Badla, प्लॉट संख्या-Survey Plot No-3713P/3176P & 3711P/3177P, खाता संख्या-464/52 & 126/52, वार्ड संख्या-NA, थाना-Senha, जिला-लोहरदगा में निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह ।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित फैक्ट्री भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, लोहरदगा के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-45 दिनांक-23.02.2024 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. निर्मित फैक्ट्री भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री भवन के चारों तरफ 150MM डायामेटर वाला एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। प्रत्येक यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
4. फैक्ट्री भवन के गोदाम एवं फैक्ट्री भवन के शेष भागों में जहाँ ग्रीस, पेन्ट, ऑयल, कैमिकल का उपयोग होगा, उन क्षेत्रों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गोंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
5. फैक्ट्री भवन के सभी Office को एड्रेसेबल टाईप डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
6. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
7. भवन के चारों तरफ फायर टेण्डर मुवमेंट की व्यवस्था की जायेगा।
8. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
9. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
10. फैक्ट्री भवन परिसर के अग्नि व्यवस्था के लिए कम से कम 3 Kg / Centimeter square के दाब पर हर जग जलापूर्ति उपलब्ध रहे। इसके लिए शक्तिशाली पम्प / सीरिज पंपिंग की व्यवस्था की जाय।
11. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
12. 180 LPM का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
14. फैक्ट्री भवन के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
15. फैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसि इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।

16. फ़ैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
17. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय। ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
18. फ़ैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
19. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. फ़ैक्ट्री भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
21. निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को आरक्षित रखे जाय।
 - i. MECHENICAL FOAM 50 लीटर क्षमता का – 04 अदद।
 - ii. DCP Fire Extinguisher 22 kg – 08 अदद।
 - iii. Fire Bucket – 04 अदद।
 - iv. Fire Hook – 04 अदद।
 - v. Fire Bitter – 04 अदद।
22. फ़ैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
23. फ़ैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
24. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
25. फ़ैक्ट्री भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।